

न्यायालय कलेक्टर, जिला जशपुर (छत्तीसगढ़)

// अनापत्ति प्रमाण पत्र //

क्रमांक

/ वाचक / 2015:

जशपुर, दिनांक

जनवरी, 2015

लोक निर्माण विभाग, संभाग-जशपुर, जिला जशपुर (छत्तीसगढ़) के द्वारा ग्राम तुरीलोदाम में आगडीह हवाई पट्टी के प्रस्तावित विस्तारीकरण कार्य हेतु चयनित भूमि वर्तमान स्थिति अनुसूची-1 में अंकित राजस्व वन भूमि है, गैर वानिकी उपयोग के लिए मुख्य वन संरक्षक, रायपुर कार्यालय में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पंजीयन किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है :-

अनुसूची-1

क्रमांक	खसरा नंबर	कुल रकबा हे० में	उपयोग हेतु मांग किया गया रकबा हे० में	दर्ज मद
01.	188	4.804	1.975	छोटे झाड़ का जंगल
02.	195	3.042	2.540	छोटे झाड़ का जंगल
योग-	02	7.846	4.515	-

उपरोक्त भूमि की जांच उपरान्त अनुविभागीय अधिकारी, जशपुर के प्रतिवेदन अनुसार अनुसूची 1 में अंकित भूमि जो राजस्व वन भूमि है, पर लोक निर्माण विभाग, संभाग-जशपुर, ग्राम तुरीलोदाम में आगडीह हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना उचित होगा।

अतः अनुसूची 1 में उपयोग हेतु मांग किया गया, कुल रकबा 4.515 हे० राजस्व वन भूमि को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोजन में उपयोग हेतु देने में इस कार्यालय को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।



क्रमांक जशपुर/वाचक/2015: 398A

कलेक्टर,

जशपुर (छत्तीसगढ़)

जशपुर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

01. मुख्य वन संरक्षक, भू-प्रबंध, छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर को सूचनार्थ।
02. वन मण्डलाधिकारी, जशपुर, जिला जशपुर को सूचनार्थ।
03. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जशपुर को सूचनार्थ।
04. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग-जशपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर,

जशपुर (छत्तीसगढ़)